



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

CentralState Farm, Suratgarh

District- Sriganaganagar

PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: -

01509- 223877

e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

क्रमांक :- सूरत/सुरक्षा/04/2015-2016-

दिनांक - 31.12.2015

निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0) में खण्ड-1 यूनिटA, यूनिटB व 2, 3 की चल व अचल सम्पत्ति व फसलों की सुरक्षा का ठेका देने की अवधि दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक की निविदा हेतु ।

क्र0 सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड-1 यूनिट(A)	35एसटीजी, 38एसटीजी, 37एसटीजी, बीअरपी-1, बीआपी-3	रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)
2.	खण्ड-1 यूनिट(B)	39एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी, 42एसटीजी, 44एसटीजी	रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)
4.	खण्ड 2	RPM-1, RPM-2, RPM-3, RPM-4, 33PBN ,31A PBN,31B PBN	रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)
4.	खण्ड 3	34 PBN,3 SGM,4 SGM,5 SGM, EPO(बाग)	रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)

उपरोक्त सुरक्षा ठेके की अवधि दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये निविदायेँ दिनांक 21.01.2016 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन दोपहर 3:00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) 01.01.2016 से 20.01.2016 तक रु0 500.00 देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय बीज निगम लि0 की वेब साईट www.Indiaseeds.Com से भी डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु0 500.00 व प्रत्येक ठेके के लिये वर्णित निश्चित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट **National seeds Corporation Ltd, Suratgarh, payable at Suratgarh** निविदा के साथ जमा करवाने होंगे। तकनीकी व वित्तीय निविदा मे कृषि फार्म के सुरक्षा के ठेके का 2 वर्ष का अनुभव, ईनकम टैक्स वैलैड, पेन कार्ड न0, पार्टी का पंजीकरण (सर्विस टैक्स), EPF, ESI पंजीकरण, लेबर लाईसेन्स, प्राईवेट सिव्क्यूरेटी लाईसेन्स, 2पासपोर्ट फोटो, 10 रु0 के स्टाम्प पर नोटेरी से हल्फनामा देना होगा। सफल निविदादाता को रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख मात्र) प्रति खण्ड धरोहर राशि व क्षतिपूर्ति राशि मिलाकर जमा करवाने होंगे। असफल निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जायेगी। निविदा फार्म पर खण्डवार की जायेगी। एक सुरक्षा ठेकेदार एक ही खण्ड हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत करेगा। क्योंकि एक सुरक्षा ठेकेदार को एक ही खण्ड का सुरक्षा ठेका दिया जायेगा।

नोट:- यदि किसी कारणवस दिनांक 21.01.2016 को ठेका असफल हुआ तो पुनः ठेका 18.02.2016, 25.02.2016 को उपरोक्त नियमानुसार होगा।

सुरक्षा अधिकारी

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

Central/State Farm, Suratgarh

District- Sriganaganagar

PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: -

01509- 223877

e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

॥ सुरक्षा ठेके बाबत नियम व शर्तें ॥

1. फार्म सम्पदा की सुरक्षा हेतु सुरक्षा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा जिसे आगामी छः माह के लिये प्रबन्धक के विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकेगा। जिसकी नियम व शर्तें पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।
2. संविदा फार्म पर खण्डवार की जावेगी। एक ठेकेदार एक फार्म पर एक खण्ड हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। एक सुरक्षा ठेकेदार को एक ही खण्ड का सुरक्षा ठेका दिया जायेगा।
3. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रुपये 50000/-प्रति खण्ड होगी, जो की नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा होगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा रुपये 2,00,000/-रु0 (दो लाख मात्र) प्रतिखण्ड प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) जमा करवानी होगी। जो कि सावधि जमा/बैंक गारन्टी के रूप में हो सकती है। उक्त प्रतिभूति राशि ठेका सन्तोषजनक कार्य पूर्ण होने पर सुरक्षा ठेकेदार को बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
5. निविदादाता/फर्म को कम से कम दो वर्ष का सुरक्षा कार्य का ठेका सन्तोषजनक पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिये। जो कृषि फार्मों का जो किसी सरकारी कृषि फार्म/स्वायतशासी कृषि फार्म/लोक उपक्रम (कृषि फार्म) का हो अथवा 1000 एकड़ के निजि कृषि फार्म का पाँच वर्ष का सुरक्षा ठेका सन्तोषजनक पूर्ण करने का अनुभव। निविदादाता को सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उनके द्वारा काम किया गया है। मात्र ठेका प्रति आदेश मान्य नहीं होगा।
6. यदि ठेकेदार अनुबन्ध की किसी नियम व शर्तों का उल्लंघन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने

में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबन्ध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

7. ठेकेदार/फर्म का चाहिये कि वह कृषि फार्मों के सुरक्षा मानकों तथा सम्पत्ति (प्रोपर्टी)/सम्पदा की सुरक्षा बाबत नियम व उपनियम को भली-भाँति जानता हो।

8. फार्म सम्पत्ति के नुकसान/ चोरी आदि होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में पुलिस रिपोर्ट /एफ.आई.आर. अपने स्तर पर दर्ज करवानी होगी तथा उसकी छायाप्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।

9. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमिटी गठित की जावेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ती आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है। तो कमिटी का निर्णय मानना होगा।

10. फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।

11. ठेकेदार निगम के विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।

12. ठेकेदार के पास EPF,ESI रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड और लेबर लाईसेन्स, प्राईवेट सिक्क्यूरीटी लाईसेन्स होना जरूरी है। यदि सुरक्षा ठेके की राशि प्रति वर्ष दस लाख या दस लाख से अधिक है तो सेवा कर (सर्विस टैक्स) का पंजीयन संख्या होना अनिवार्य है तथा वैधानिक नियमों की पालना की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। यदि सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या नहीं है तो फार्म बिल में से सर्विस टैक्स काट कर विभाग में जमा कर **Certificate** जारी करेगा।

13. ठेकेदार फार्म में सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

14. कार्य ओदश जारी होने के पश्चात सुरक्षा ठेकेदार स्वयं भी फार्म के सम्बन्धित खण्ड/यूनिट में उपस्थित रहेगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा एवं सब-लेट नहीं करेगा। ठेकेदार प्रत्येक दिन फार्म के सुरक्षा अधिकारी से मिलकर फार्म की तथा अन्य संपत्ति की सुरक्षा हेतु उसके द्वारा की गयी सुरक्षा व्यवस्था

से अवगत करायेंगा, दिये गये निर्देशों की होती है तो उसका ठेका निरस्त कर धरोहर राशि फार्म जायेगी।

सख्ती से पालन करेगा। यदि इनकी अवहेलना प्रबन्धन द्वारा जब्त कर ली

15. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि पशुओं द्वारा अवैध/जबरदस्ती चराई और चोरी इत्यादि तथा अन्य किसी भी प्रकार से फसलों तथा फार्म की समस्त चल/अचल

संपत्तियों जैसे खड़ी फसलें, पेड़-पौधे, लकड़ी, ट्यूबवैल इंजन, मोटर ,तार, खेतों में बने मकान हैण्डपम्प आदि जो जहाँ है जैसे है के अनुसार दिन व रात्री लगातार आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों तथा पालतू व जंगली जनवारों से सुरक्षा करेगा। नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।

16. सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों में बने हुए फाटक में आवारा पशु नहीं लायेंगे तथा आवारा पशुओं को सुरतगढ की गौशाला में भेजेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु नीलगाय,भेड़-बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिये। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों को नियुक्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।

17. अगर सुरक्षा ठेकेदार अपनी यूनिट में सुरक्षा कर्मी नहीं लगाता है और नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर सुरक्षा करवायेगा। जिसका भुगतान सुरक्षा ठेकेदार के बिल तथा प्रतिभूति राशि (डिपोजिट-मनी) से किया जावेगा।

18. सुरक्षा कार्य के लिये फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यावस्था अपने खर्च पर स्वंय करनी होगी।

19. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जावेगा। किसी भी प्रकार का टेक्स जो नियमानुसार देय होगा, ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैडगार्ड के सन्तोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा।

20. सुरक्षा ठेकेदार को श्रम कानूनों का पालन करना होगा, स्वंय उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी/श्रमिक की दुर्घटना होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे उनकी अनुपालना की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

21. फार्म में सुरक्षा ठेकेदार को नाली फल्ट के दौरान कोई किसान या पड़ोस में रहने वाले जमींदार आदि इक्कठे होकर फार्म क्षेत्र से कोई बन्धा तोड़कर पानी अवैधरूप से अपने खेतों में ले जाता है या पम्प द्वारा लिफ्ट करके मुरब्बों में खड़े पानी को उठाकर अपने खेतों में ले जाता है तो उसे रोकने की भी पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
22. ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पूर्व रू0 100/- (सौ रुपये मात्र) के नान- ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों का शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सुरतगढ़ से लिखित अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध हेतु नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा।
23. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट-सोसिंग के लिये दिया जाता है, तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोसिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा खर्च के रुपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे।
- 24.. निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सुरतगढ़ को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए, स्वीकृत एवं अस्वीकृत(निरस्त)करने का पूर्ण अधिकार होगा। निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये सुरक्षा ठेके को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. ठेकेदार जो भी श्रमिक रखेगा उसको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मियों को समस्त हित-लाभ प्रदान करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी जिसका रिकार्ड रखना होगा नाबालिक सुरक्षा कर्मी नहीं लगायेगा।
26. यह कि सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा सामग्री जैसे सीटी लाटी रात्री के लिय टार्च आदि की व्यवस्था ठेकेदार अनिवार्य रूप से करेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों को पहचान पत्र देगा जोकि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।
27. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधी व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेगे और नही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
28. यह कि सुरक्षा ठेकेदार उसका प्रतिनिधी एवं उसके सुरक्षा कर्मी पर्यावण-जल-जीव जन्तुओं जंगली जानवरों व मोर तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे।

29. यह कि ठेकेदार अपराधिक, शराबी, संदिग्ध एवं फार्म की काली सूची में आये व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगायेगा तथा कार्य स्थल पर बीड़ी-सिगरेट या अन्य नशीली चीजों का प्रयोग करना पूर्ण वर्जित होगा।
30. यह कि ठेकेदार एवं उसके सुरक्षा कर्मी फार्म के किसी कर्मचारी अधिकारी से अभद्रता एवं अश्रुता का व्यवहार नहीं करेंगे झगडा आदि करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
31. यह कि उसका प्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी किसी प्रकार के फार्म उत्पादो जैसे पेड-पौधे, लकड़ी, दवा, रसायनिक खाद-सामग्री, डीजल, फार्म मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न ही खुद ले जायेगा और सख्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध करायेगा।
32. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।
33. यह कि ठेकेदार आवंटित फार्म क्षेत्र में संदिग्ध आपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित परिक्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनिय घटना घटित होती है तो सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
34. यह कि ठेकेदार यदि बीच में सुरक्षा का कार्य छोड़ता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
35. यह कि षडयंत्र ट्रेड यूनियन की हडताल भीड/बलबा द्वारा फार्म उत्पाद की क्षति व शस्त्र डकैती की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार की पूर्णरूप से जिम्मेदारी होगी।
36. ऐसा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी भी फार्म में फार्म विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहा हो अथवा ब्लैक-लिस्टेड हो।
37. चूंकि फार्म की फसलों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ठेकेदार का सव्य फार्म में उपस्थित रहना नितान्त आवश्यक है अतः सुरक्षा ठेकेदार अपने यूनिट में खुद उपस्थित रह कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय-2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए निदेशों का अनुपालन करेगा।
38. सुरक्षा ठेकेदार को फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चकों जिनकी जानकारी समय-2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी तैनात करने होंगे। सुरक्षा

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है वह दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक से जायेगा। ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाइजर इत्यादि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि फार्म में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना फार्म विरोधी या गैर कानूनी कृत्य में सम्मिलित नहीं होंगे तथा फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के किसी भी तरह का अभ्रद व्यवहार नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

39. अन्य बातों के अलावा सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही पाया जायेगा व जो विश्वासनीय होगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाए चौकीदार अथवा सुपरवाइजर फार्म के किसी कर्मचारी के किसी भी प्रकार का झगडा नहीं करेंगे कोई विवाद होने की स्थिति में वे उसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी का देंगे।

40. यदि ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो एक सप्ताह का नोटिस देकर उसका ठेका निस्त कर सुरक्षा कार्य भी अन्य व्यक्ति से कराया जा सकता है और उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

41. ठेकेदार का फार्म प्रबन्धक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-2 पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

42. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धक द्वारा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

43. सुरक्षा ठेकेदार को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा कार्य करते वक्त घोड़े, मोटर साइकिल एवं टैक्टर, जीप आदि रखेगा।

44. आर्बिट्रेशन:-

पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में, पक्षकार यह तय करते हैं कि अपने उत्तम प्रयत्नों द्वारा सभी विवादों को तत्पर न्यायसंगत व सदभाव से सुलझायेंगे। पक्षकारों द्वारा ऐसा ना होने पर ऐसा विवाद अंतिम रूप से आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाया जायेगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवही अंग्रेजी भाषा में तथा आर्बिट्रेशन का स्थान नई दिल्ली होगा।

45. विवादों का समझौता:-

सभी विवाद/ मतभेद जो कि पक्षकारों के मध्य इस अनुबन्ध के किसी नियम में किसी पक्षकार के अधिकार, कर्तव्य व जिम्मेदारी की व्याख्या एकमात्र आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णित की जायेगी जो कि सी.एम.

डी. नेशनल सीड कारपोरेशन लि०, द्वारा नामित होगा। तथा आबिट्रेशन व कन्सिलिएशन एक्ट 1996 या अन्य वैधानिक नियम जो कि उस समय लागू होंगे के तहत किया जायेगा।

46. न्यायअधिकार:-

पक्षकार इसके द्वारा अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि दिल्ली न्याय क्षेत्र को ही एक मात्र न्याय अधिकार होगा। जबकि कोई कार्य या कार्यवाही इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में उदित होगी। इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई संशोधन या परिवर्तन मान्य नहीं होगा यदि वह लिखित में व दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा।

घोषणा:-

मैंने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

सुरक्षा अधिकारी

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2016- दिनांक निविदा भेजने हेतु पता:-

सहायक महाप्रबन्धक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निविदा खोलने की दिनांक :- 21.01.2016 स्थान :- केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय :- केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सुरक्षा हेतु

1वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-
2. पिता /पति का नाम :-
3. पूरा पता :-
.....
.....
4. दूरभाष / मो0 न0:-
5. पैन न0 :- (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि)(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रू0 500/- रसीद संख्या दिनांक अथवा डिमाण्ड
ड्राफ्ट संख्या दिनांक

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

क्र० सं०	दिनांक	पार्टी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र	आयकर वेलेड पैन कार्ड	सर्विस टैक्स पंजीकरण	लेबर लाइसेन्स	सिक्यूरिटी लाइसेन्स(DGP)	नोटरी से हलपनामा चरित्र सम्बन्धित

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो० न०

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र० सं०	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड 1 यूनिट A	35एसटीजी, 38एसटीजी, 37एसटीजी, बीआरपी-1, बीआरपी-3	रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न० एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
खण्ड-1 यूनिट A			रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....
.....
.....
.....

मेा० न०

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.03.2016 से 28.02.2017 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड- 01यूनिट A	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो0 न0

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र0 सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड 1यूनिट B	39एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी 42एसटीजी, 44एसटीजी	रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
खण्ड-1 यूनिट B			रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....

.....

.....

.....

मेा0 न0

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.03.2016 से 28.02.2017 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड- 01यूनिट B	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो0 न0

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र० सं०	खण्ड	सुरक्षा हेतु चर्कों का विवरण	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड-3	34PBN,3 SGM, 4 SGM, 5 SGM,EPO(बाग)	रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न० एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
खण्ड-3			रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....

.....

.....

.....

मो० न०

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.03.2016 से 28.02.2017 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड-3	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो० न०

.....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र० सं०	खण्ड	सुरक्षा हेतु चर्कों का विवरण	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड-2	RPM-1, RPM-2, RPM-3, RPM-4, 31A PBN, 31B PBN, 33PBN	रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न० एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
खण्ड-2			रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....
.....
.....
.....

मो० न०

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.03.2016 से 28.02.2017 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड-2	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो0 न0